

न्यायालय उप उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर (राज0)

क्रमांक/प्रशासन गांवों के संग अभियान/2023/ 208

दिनांक :- 30.05.2023

राजस्व वाद सं. 102 /2023


GCMS No. —/2023 /198

उनवान प्रकरण :- राजेन्द्र कुमार बनाम तहसीलदार

—: आदेश:—

वादी/प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती पत्र एवं पटवारी हल्का मण्डावरा व भूअ.नि. मण्डावरा की रिपोर्ट तथा नायब तहसीलदार चितावा/तहसीलदार कुचामनसिटी की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	पालड़ी	129	राजूराम पुत्र दूलाराम हिस्सा 91/197 जाति जाट सा. मण्डावरा खातेदार राहिन हिस्सा 91/197 (पूर्ण खाता) एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड शाखा कुचामनसिटी	राजेन्द्र कुमार पुत्र दूलाराम हिस्सा 91/197 जाति जाट सा. मण्डावरा खातेदार राहिन हिस्सा 91/197 (पूर्ण खाता) एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड शाखा कुचामनसिटी



उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

क्रमांक/2023/ 209-210

दिनांक :- 30.05.2023

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
2. वादी राजेन्द्र कुमार पुत्र दूलाराम जाति जाट सा. पालड़ी तह.कुचामन को सूचनार्थ


उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

